

जन-सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स दामोदर शर्मा (एचयूएफ), एम.एल. नम्बर 34/2022, रेफरेन्स नम्बर 20221000062463, क्षेत्रफल 3.9894 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,48,260 टी.पी.ए. (रोम), (सेलेबल बॉल क्ले-1,14,750 टी.पी.ए., सेलेबल सिलिका सैंड-2,82,360 टी.पी.ए., ओवर बर्डन - 38,400 टी.पी.ए. एवं रिजेक्ट - 12,750 टी.पी.ए.) निकट ग्राम-चानी तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर, {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 7.9803 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-9,23,050 टी.पी.ए.(रोम)} में स्थित है में अप्रधान खनिज बॉल क्ले एवं सिलिका सैंड के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता की उपस्थिति में ग्राम पंचायत भवन चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में दिनांक 02.06.2025 को दोपहर 1.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	खनन इकाई का नाम	एम.एल. नम्बर/ रेफरेन्स नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल	खनन इकाई की उत्पादन क्षमता
1	मैसर्स दामोदर शर्मा (एचयूएफ)	एम.एल. नम्बर 34/2022, रेफरेन्स नम्बर 20221000062463	3.9894 हैक्टेयर	4,48,260 टी.पी.ए. (रोम)
2	मैसर्स श्रीधर शर्मा (एचयूएफ)	एम.एल. नम्बर 33/2022	3.9909 हैक्टेयर	4,74,790 टी.पी.ए.(रोम)

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 01.05.2025 को समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर का क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होने हेतु स्वीकृति पत्र परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर के प्रतिनिधि ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर



↓
उपरखण्ड अधिकारी
कोलायत ... बीकानेर

महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स दामोदर शर्मा (एचयूएफ) के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार "मैसर्स वाइब्रेट टैक्नो लैब प्रा.लि." को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार "मैसर्स वाइब्रेट टैक्नोलैब प्रा.लि." के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत जिला-बीकानेर में अप्रधान खनिज-बॉल क्ले एवं सिलिका सैंड के खनन हेतु प्रस्तावित है जिसका एम.एल. नम्बर 34/2022, रेफरेन्स नम्बर 20221000062463, कुल खनन क्षेत्रफल 3.9894 हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता 4,48,260 टी.पी.ए. (रोम) {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 7.9803 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-9,23,050 टी.पी.ए.(रोम)} होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।


खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।


सर्वप्रथम श्री किशनाराम पवार, सरपंच प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों का स्वागत किया गया एवं प्रस्तावित खनन इकाई के बारे में जनसमुदाय को संबोधित करते हुए खनन इकाई के प्रतिनिधि से निवेदन किया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना में स्थानीय निवासीयों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये एवं खनन कार्य के दौरान स्थानीय निवासीयों के वाहनों का ही यथासम्भव उपयोग किया जाये। जिसके प्रत्युत्तर में खनन इकाई के प्रतिनिधि द्वारा स्थानीय निवासीयों को रोजगार में प्राथमिकता देने एवं स्थानीय निवासीयों के वाहनों को ही खनन कार्य में उपयोग करने सम्बन्धी आश्वासन दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों का स्वागत करते हुए कहा गया कि इस क्षेत्र में खनन कार्य काफी समय से हो रहा है। खनन कार्य से होने वाले लाभ एवं दुष्प्रभावों से आप सभी पूर्णतः वाकिफ है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा परियोजना प्रस्तावक से आग्रह किया गया कि खनन इकाई को सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करनी चाहिये साथ ही खनन कार्य से आमजन को जो परेशानी होती है उसका समाधान करने के पूर्ण प्रयास किये जाने चाहिये। साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा गया कि उक्त जनसुनवाई खनन परियोजना के कारण ग्रामवासियों को होने वाले लाभ अथवा हानि की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से ही आयोजित की गयी है। सभी ग्रामवासियों द्वारा इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत किये जाने चाहिये ताकि बैठक कार्यवाही विवरण में आपके आक्षेप/सुझाव/आपत्ति का समावेश कर उच्च स्तर पर आगामी कार्यवाही हेतु भिजवाया जा सके। उपखण्ड अधिकारी द्वारा सरपंच प्रतिनिधि के प्रस्तावित खनन इकाई में स्थानीय निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता देने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया एवं परियोजना प्रस्तावक से स्थानीय निवासियों को होने वाली समस्या का पूर्ण निराकरण का प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।


(गिरीश व्यास)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर


(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
कोलायत, बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र


प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स दामोदर शर्मा, एम.एल. नम्बर 34/2022, रेफरेन्स नम्बर 20221000062463, क्षेत्रफल 3.9894 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,48,260 टी.पी.ए. (रोम), (सेलेबल बॉल क्ले-1,14,750 टी.पी.ए., सेलेबल सिलिका सेंड- 2,82,360 टी.पी.ए., ओवर बर्डन - 38,400 टी.पी.ए. एवं रिजेक्ट - 12,750 टी.पी.ए.) निकट ग्राम-चानी तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना (मैसर्स दामोदर शर्मा, एम.एल. नम्बर 34/2022, रेफरेन्स नम्बर 20221000062463, क्षेत्रफल 3.9894 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,48,260 टी.पी.ए. (रोम), (सेलेबल बॉल क्ले-1,14,750 टी.पी.ए., सेलेबल सिलिका सेंड- 2,82,360 टी.पी.ए., ओवर बर्डन - 38,400 टी.पी.ए. एवं रिजेक्ट-12,750 टी.पी.ए.), मैसर्स श्रीधर शर्मा एम.एल. नम्बर 33/2022, क्षेत्रफल 3.9909 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,74,790 टी.पी.ए.}, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 7.9803 कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-9,23,050 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.06.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थान:- ग्राम पंचायत भवन चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर
दिनांक:-02.06.2025 समय दोपहर 1.00 बजे ।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	शंकरा कुमारी	एस.डी.ओ. कोलायत	
2.	गिरीश कुमार	AET, RSPCB, BKN	
3.	केसवराज पटेल	सदस्य पंचायत चानी	
4.	शंकरा	कोटडी	
5.	श्रीनील	कोलायत	
6.	उमाशंकर	कोटडी	
7.	दीपक	कोलायत	
8.	जि.डी.एस.	कोटडी	
9.	आर.एस.	कोटडी	
10.	अशोक	कोटडी	
11.	नारायण शर्मा	चानी	
12.	दुमाशंकर	चानी	

13.	महेश्वर	कोरवी	श्री
14.	काजा	चानी	कोजा
15.	अंबर	चानी	अंबर
16.	मदन	चानी	मदन
17.	तलमाल	चानी	तलमाल
18.	लक्ष्मण	वीरवार	laxman
19.	राजेश	वीरवार	राजेश
20.	मनीषा	वाइब्रेट टेम्प्लेट प्राइवेट लिमिटेड	Mansha
21.	दीपिका	वाइब्रेट " "	Deepika
22.	Rajkumar Yala	Vibran Ten Lab Pvt Ltd	Raj
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No SPL-33, Phase-2nd, Bhichhwal Industrial Area,
Bikaner - 334001

Email:-ro.bikaner@gmail.com

environment.rajasthan.gov.in

राप्रनिम/क्षे.का./बीका/बी.एम.-776/648-649

दिनांक 02/06/2025

उपखण्ड अधिकारी
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,
कोलायत, जिला-बीकानेर

विषय:- खनन परियोजना मैसर्स दामोदर शर्मा, एम.एल. नम्बर 34/2022 रेफरेन्स नम्बर 20221000062463, निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जन सुनवाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स दामोदर शर्मा, एम.एल. नम्बर 34/2022 रेफरेन्स नम्बर 20221000062463, निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 02.06.2025 को दोपहर 1.00 बजे ग्राम पंचायत भवन चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में आयोजित की जानी है।

इसी क्रम में लेख है अपरिहार्य कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को जनसुनवाई में उपस्थित होने बाबत मनोनीत किया जाता है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय,

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

06

प्रतिलिपि:- श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

64